



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 633 राँची, बुधवार, 3 कार्तिक, 1945 (श०)
25 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-95/2017-23949 (HRMS)--श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-173/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव के विरुद्ध उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक-323/जि०प० दिनांक 13.05.2017 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-
आरोप- श्री अशोक कुमार चोपड़ा, हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागाँव प्रखण्ड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर दिनांक 05.03.2014 से 12.08.2016 तक पदस्थापित थे। बड़कागाँव पश्चिमी पंचायत के तत्कालीन पंचायत सेवक श्री पुरन पासवान के द्वारा 13वें वित्त आयोग योजना के लिए गलत बैंक खाता संख्या देने के कारण मो0 5,20,726/- रु० गलत खाता में हस्तांतरित हुई। बैंक खाता सत्यापन की प्रक्रिया में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अशोक कुमार चोपड़ा के द्वारा लापरवाही बरती गयी थी, जिससे सरकारी राशि की क्षति हुई है ।

उक्त आरोपों पर श्री चोपड़ा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-16258(HRMS), दिनांक 27.08.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-158, दिनांक 29.06.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चोपड़ा के विरुद्ध लगाये गये आरोप सं०-1 तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निर्णय है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखण्ड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों को 13वें वित्त आयोग एवं अन्य मद अन्तर्गत आवंटित/व्यय राशि एवं इसकी उपयोगिता की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण सही ढंग से नहीं किया गया है। मामला संज्ञान में आने पर भी राशि वसूली हेतु उनके द्वारा ठोस प्रयास नहीं किया गया है। जबकि वे प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण से जिम्मेवार हैं।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री चोपड़ा के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-7466, दिनांक 30.11.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। उक्त के अनुपालन में श्री चोपड़ा के पत्र, दिनांक 22.12.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित है। श्री चोपड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के मुख्य तथ्य निम्नवत् हैं-

(i) उपस्थापन पदाधिकारी के सभी मंतव्य और उनके बचाव बयान के समीक्षा के बाद संचालन पदाधिकारी ने उनको आरोप मुक्त किया है।

(ii) प्रखण्ड कार्यालय को देर से गलत खाते का पता चलने के संबंध में उनका कहना है कि जब system में सभी किसी बात को आशयपूर्वक आपसे छुपा रहे तो, स्वाभाविक तौर पर वह बात आपको पता नहीं होती है या देर से पता चलती है।

(iii) 13वें वित्त की राशि सीधे जिला परिषद द्वारा पंचायत के खाते में भेजी गई थी। गलत खाता संख्या उनके कार्यालय में नहीं भेजी गई है, यह विभागीय जाँच में माना गया है। अब गलत खाता क्यों भेजा गया था? क्यों दूसरी बार राशि भेजने से पहले उनके कार्यकाल में उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए बिना जिला परिषद से सीधे राशि गलत खाते में भेजी गई? उस समय पंचायत सचिव और तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने किस आशय (intension) से गलत खाता दिया। इन सभी बातों को समग्र रीति (Holistic manner) से जाँच करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई।

(iv) ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा सभी तथ्यों को आशयपूर्वक प्रखण्ड कार्यालय से छुपाकर रखा गया। पंचायत स्तर से ही मामले का निपटारा करने के लिए ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती गीता देवी और पंचायत सचिव ने आरोपी विनोद महतो, पिता पारसनाथ महतो से रु० 520726/- का चेक लिया, जो बाउंस हो गया। फिर पंचायत सचिव और मुखिया ने वकील के

माध्यम से आरोपी व्यक्ति को दिनांक 28.05.2015 को लीगल नोटिस दिया। चेक बाउंस होने के संबंध में भी सूचना न तो बैंक अधिकारी के द्वारा और न ही पंचायत सेवक के द्वारा प्रखण्ड कार्यालय को दिया गया। जबकि लीगल नोटिस में लिखा है कि पंचायत सचिव ने 23.05.2015 को जब Bank statement निकाला तो ₹0 520726/- की त्रुटिपूर्ण हस्तांतरण के संबंध में जानकारी हुई। त्रुटि पकड़ में आने के बावजूद बड़कागाँव पश्चिम के पंचायत सेवक और मुखिया द्वारा इसकी सूचना प्रखण्ड कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई और अपने स्तर से मामले का निपटारा का प्रयास किया गया ।

(v) बैंक द्वारा जानकारी साझा न करना। पदस्थापन के बाद (चूँकि इस त्रुटिपूर्ण खाते के बारे में उनको या प्रखण्ड कार्यालय को कोई जानकारी पंचायत सचिव द्वारा नहीं दी गई थी) पुनः उपायुक्त-सह-उप विकास आयुक्त-सह-सचिव के ज्ञापांक-134/जि०प०, दिनांक 21.03.2015 के द्वारा 384085/- रुपये की राशि इस त्रुटिपूर्ण खाते में पुनः जिला परिषद के खाते से सीधे बड़कागाँव पश्चिम के खाते में हस्तांतरित कर दी गई। ज्ञापांक-134/जि०प०, दिनांक 21.03.2015 में उपायुक्त द्वारा शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा, हजारीबाग को दिए गए निर्देश पश्चात भी शाखा प्रबंधक द्वारा बिना खाता का सत्यापन किये राशि त्रुटिपूर्ण खाते में हस्तांतरित की गई और इस त्रुटिपूर्ण हस्तांतरण की सूचना प्रखण्ड कार्यालय को नहीं दी गई। जब मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा पंचायत स्तर से ही मामले का निपटारा करने के लिए मुखिया श्रीमती गीता देवी द्वारा आरोपी विनोद महतो, पिता पारसनाथ महतो से ₹0 520726/- का चेक लेकर बैंक में डाला जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के संबंध में सूचना बैंक द्वारा प्रखण्ड को नहीं दिया गया। गलत खाते में राशि भेजना, आरोपी को राशि निकालने देना और चेक बाउंस होने पर प्रखण्ड को सूचना नहीं देना मामले में बैंक की भूमिका पर प्रश्न लगाता है, जिसकी जाँच जिला परिषद को मामला प्रकाश में आने पर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

(vi) मामले से पल्ला झाड़ने और अपने गलतियों को छुपाने के लिए जिला परिषद द्वारा इस मामले में कोई समग्र जाँच नहीं करवाई, सिर्फ एक स्पष्टीकरण के बाद उनके उपर आरोप पत्र गठित कर दिया गया। पूरे मामले में पूर्ववर्ती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मियों और बैंक की भूमिका को नजरअंदाज कर इस मामले में शामिल दोषियों को बचाने के लिए उनके उपर गलत आरोप लगाया गया है। जबकि जिला परिषद को मामले की समग्र रीति (Holistic manner) से जाँच करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। उन्होंने कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग के पत्रांक-688/जि०प०, दिनांक 06.12.2016 से की गई प्रथम स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया था कि गलत खाता उनके कार्यकाल में नहीं भेजी गयी है। यह मामला उनके पूर्ववर्ती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संबंधित है, जो विभागीय जाँच में भी स्पष्ट है। लेकिन उनके स्पष्टीकरण पर न तो ध्यान दिया गया और न ही मामले को समग्र रूप से लिया गया और official Biasness के कारण उन पर आरोप गठित किया गया ।

(vii) जिला परिषद, हजारीबाग के खाते से सीधे राशि बड़कागाँव पश्चिम पंचायत के खाते में हस्तांतरित किया गया और दूसरी बार राशि भेजने से पहले खाते का सत्यापन उनसे नहीं कराया गया। पहली बार भेजी गई राशि की बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए दूसरी बार राशि भेजी गई। अतः जिला परिषद कार्यालय द्वारा पंचायतों को ट्रांसफर करने में लापरवाही बरती गई। इसके बाद जिला परिषद कार्यालय ने अपने Bank account का 2 वर्षों तक Reconciliation भी नहीं किया। इस बीच CA/AG का Audit भी हुआ होगा। इस तरह ग्राम पंचायत, बैंक और जिला परिषद अपने गलतियों को आशयपूर्वक प्रखण्ड कार्यालय से छुपाया, जिससे मामला प्रखण्ड कार्यालय में देरी से पता चला। यह स्थापित नियम है कि जब किसी लोक सेवक को किसी अनियमितता का पता चले, तो वह उस पर कार्यवाही करें। उक्त मामले में यह विषय दिनांक 29.06.2016 को उपायुक्त की बैठक में बड़कागाँव पश्चिम की मुखिया के द्वारा उठाया गया था। स्पष्ट करना है कि इस बैठक में ही उनको पहली बार इस त्रुटिपूर्ण खाते में राशि के हस्तांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर जाँच करने का निर्देश उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उनको दिया गया। इसके बाद उन्होंने तथ्यों का पता लगाया और आरंभिक जाँच के बाद पत्रांक-803, दिनांक 05.07.2016 द्वारा आरोपी व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई और मामला (GR Case 2702/2016) न्यायालय में है।

(viii) झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा-14 कहता है कि “ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी, जो अपने निगमित नाम से वाद चलाएगा और उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।” ग्राम पंचायत द्वारा आरोपी से राशि वसूली के लिए Legal notice दिया, लेकिन वाद की कार्यवाही नहीं शुरू की गई। जिला परिषद को इस बात का संज्ञान था। उनके द्वारा भी यह राशि Recovery की कार्यवाही की जा सकती थी, लेकिन जिला परिषद ने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरे मामले में इन्होंने ही ठोस कदम उठाया। FIR का आदेश दिया, जिस पर बाद में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। चूँकि यह मामला cheque bounce, cheating और Criminal Breach of Trust का हो गया था। इसलिए सबसे पहले FIR करना ही उनको उचित लगा, ताकि आरोपी भाग न जाए। इसी बीच उनका स्थानांतरण हो गया और ये दिनांक 12.08.2016 को प्रखण्ड बड़कागाँव से विरमित हो गये। इसलिए राशि Recovery पूरी नहीं हो सकी।

(ix) तथ्यों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि मामले प्रकाश में आने पर इनके द्वारा तत्परता से कार्य किया गया है और युक्तियुक्त कदम उठाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। विभागीय जाँच में इनके उपर लगे आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया है।

श्री चोपड़ा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों के आलोक में विभागीय पत्रांक-2446, दिनांक 27.04.2023 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से निम्न बिन्दु पर प्रतिवेदन की माँग की गयी- “गलत खाता संख्या देने वाले पंचायत सेवक एवं मुखिया पर कृत कार्रवाई, गलत खाता में हस्तांतरित हुई राशि की Recovery एवं संबंधित मामले में दायर G.R. Case No. 2702/2016

की अद्यतन स्थिति तथा प्रथम किस्त की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना दूसरी बार राशि भेजने वाले जिला परिषद कार्यालय, हजारीबाग के कर्मियों पर कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन”

उक्त के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-856, दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया, जो निम्नवत् है-

1. जिला परिषद कार्यालय, हजारीबाग के आदेश जापांक-598, दिनांक 15.10.2016 के द्वारा श्री पूरन पासवान, तत्कालीन पंचायत सेवक, बड़कागांव पश्चिमी पंचायत को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय आदेश जापांक 883/ग्रा0प0 दिनांक 31.10.18 के द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का वृहत दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया है ।

2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग के पत्रांक-770, दिनांक 19.06.23 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गलत खाता में हस्तांतरित हुई राशि की वसूली अभी तक नहीं हो सकी है ।

3. लोक अभियोजक, जिला, अभियोजन कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक-2383, दिनांक-19.06.2023 के द्वारा दायर G.R. Case No. 2706/2016 की अद्यतन स्थिति के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि अभियोजन गवाही हेतु अगली तिथि दिनांक 03.08.23 निर्धारित है ।

4. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग के पत्रांक-352, दिनांक 18.07.23 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग के द्वारा अपने कार्यकाल में ही उक्त त्रुटिपूर्ण खाता का विवरण भेजा गया है। जिसके लिए वे सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार है ।

जहाँ तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर राशि हस्तांतरित करने का प्रश्न है, के संदर्भ में कहना है कि पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा 13वें के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का बंधेज नहीं था, जिसके फलस्वरूप राशि का हस्तांतरण किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला परिषद कार्यालय, हजारीबाग के कर्मों राशि हस्तांतरित करने के लिए दोषी नहीं है ।

श्री चोपड़ा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी का निष्कर्ष, इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि-

(i) विभागीय संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन/मंतव्य में श्री चोपड़ा के विरुद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है। परन्तु विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों को 13वें वित्त आयोग एवं अन्य मद अन्तर्गत आवंटित/व्यय राशि एवं इसकी उपयोगिता

की समीक्षा सही ढंग से नहीं किया गया है। मामला संज्ञान में आने पर भी राशि वसूली हेतु उनके द्वारा ठोस प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई है।

श्री चोपड़ा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित है कि 13वें वित्त आयोग की राशि सीधे जिला परिषद द्वारा पंचायत के खाते में भेजी गई थी। गलत खाता संख्या उनके कार्यकाल में नहीं भेजी गयी है और यह मामला उनके पूर्ववर्ती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संबंधित है, जो विभागीय जाँच में भी स्पष्ट है।

जिला परिषद, हजारीबाग के खाते से सीधे राशि बड़कागाँव पश्चिम पंचायत के खाते में हस्तांतरित किया गया और दूसरी बार राशि भेजने से पहले खाते का सत्यापन उनसे नहीं कराया गया। पहली बार भेजी गई राशि की बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए दूसरी बार राशि भेजी गई, अतः जिला परिषद कार्यालय द्वारा पंचायतों को ट्रांसफर करने में लापरवाही बरती गई। इसके बाद जिला परिषद कार्यालय ने अपने Bank account का 2 वर्षों तक Reconciliation भी नहीं किया। इस तरह ग्राम पंचायत, बैंक और जिला परिषद अपने गलतियों को आशयपूर्वक प्रखण्ड कार्यालय से छुपाया, जिससे मामला प्रखण्ड कार्यालय में देरी से पता चला। मामला संज्ञान में आने पर उनके द्वारा पत्रांक-803, दिनांक 05.07.2016 द्वारा आरोपी व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई और मामला G.R. Case 2702/2016 न्यायालय में है।

वे स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक 12.08.2016 को प्रखण्ड बड़कागाँव से विरमित हो गये, इसलिए राशि Recovery पूरी नहीं हो सकी।

(ii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपरोक्त बिन्दु पर उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-856, दिनांक 03.08.2023 से समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि 13वें वित्त आयोग योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन आदेश में राशि हस्तांतरित करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का बंधन नहीं था, जिसके फलस्वरूप राशि का हस्तांतरण किया गया। गलत खाता में हस्तांतरित राशि की वसूली अभी तक नहीं हो सकी है। उक्त मामले में संबंधित पंचायत सेवक श्री पुरन पासवान को संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित है। उप विकास आयुक्त के पत्रांक-352, दिनांक 18.07.2023 से यह भी प्रतिवेदित है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री चोपड़ा के कार्यकाल में ही उक्त त्रुटिपूर्ण खाता का विवरण भेजा गया है।

(iii) सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपायुक्त के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री चोपड़ा के कार्यकाल में भी 13वें वित्त आयोग की राशि दिनांक 07.05.2014 को मो0 136641/- एवं दिनांक 21.03.2015 को 384085/- रुपये RTGS के माफत बड़कागाँव पंचायत के खाता सं0- 482110110000152 में हस्तांतरित हुई है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों को 13वें वित्त आयोग एवं अन्य मद अन्तर्गत आवंटित/व्यय राशि एवं इसकी उपयोगिता की

समीक्षा सही ढंग से नहीं किया गया है। मामला संज्ञान में आने पर भी राशि वसूली हेतु उनके द्वारा ठोस प्रयास नहीं किया गया ।

अतः समीक्षोपरांत श्री अशोक कुमार चोपड़ा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASHOK KUMAR CHOPRA 110071165711	श्री अशोक कुमार चोपड़ा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

ससरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
